

उत्तराखंड उच्च न्यायालय, नैनीताल

2009 की रिट याचिका संख्या 163 (एम/एस) मैसर्स ओएम आईएसपीएटी, अपने सहयोगी श्री जितेंद्र कुमार कुछल कैम्पस इकबालपुर चीनी मिल, इकबालपुर, रुड़की, जिला हरिद्वार के माध्यम द्वारा..... याचिकाकर्ता बनाम

सचिव, औद्योगिक विभाग, उत्तराखंड सरकार, देहरादून और अन्य

प्रतिवादी ।...

दिनांक:04 अगस्त, 2011

कोरम:माननीय तरुण अग्रवाल, माननीय प्रफुल्ल सी. पंत, माननीय बी. एस. वर्मा, माननीय जे.

माननीय तरुण अग्रवाल, जे. के मुताबिक

1. खंडपीठ ने एक अन्य समन्वय पीठ के फैसले से खुद को सहमत नहीं पाकर इस मामले को एक बड़ी पीठ के पास भेज दिया है और इस तरह यह मामला हमारे सामने आया है।
2. रिट याचिका दाखिल करने के लिए संक्षिप्त तथ्य यह है कि भारत सरकार, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग) ने नई औद्योगिक इकाइयों और मौजूदा इकाइयों को उनके पर्याप्त विस्तार पर राजकोषीय प्रोत्साहन प्रदान करते हुए दिनांक 07.01.2003 को एक नई औद्योगिक नीति जारी की। नीति के खंड 3.1 में निम्नलिखित पैकेज का प्रावधान किया गया है:

"3.1 नई औद्योगिक इकाइयों और मौजूदा इकाइयों को उनके पर्याप्त विस्तार पर वित्तीय प्रोत्साहन:

नई औद्योगिक इकाइयां और मौजूदा औद्योगिक इकाइयां विकास केंद्रों, औद्योगिक अवसंरचना विकास केंद्रों (आईआईडीसी), औद्योगिक संपदाओं, निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्रों, थीम पार्को (खाद्य प्रसंस्करण पार्क, सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क आदि) में स्थापित अपने पर्याप्त विस्तार पर, जैसा कि अनुबंध-1 में उल्लेख किया गया है और केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित अन्य क्षेत्र निम्नलिखित के हकदार हैं:

(क) वाणिज्यिक उत्पादन शुरू होने की तिथि से 10 वर्ष की अवधि के लिए 100 प्रतिशत (सौ प्रतिशत) एकमुश्त उत्पाद शुल्क छूट।

(ख) वाणिज्यिक उत्पादन शुरू होने की तिथि से पूरे उत्तरांचल अग्रेतर हिमाचल प्रदेश राज्य के लिए आरंभिक पांच वर्षों की अवधि के लिए 100 प्रतिशत आयकर छूट अग्रेतर उसके बाद कंपनियों के लिए 30 प्रतिशत अग्रेतर कंपनियों के अलावा अन्य के लिए 25 प्रतिशत।

(II) अधिसूचित स्थान में सभी नए उद्योग 30 लाख रुपये की सीमा के अधीन संयंत्र और मशीनरी में अपने निवेश के 15% की दर से पूंजी निवेश सब्सिडी के लिए पात्र होंगे। मौजूदा इकाइयां भी अपने पर्याप्त विस्तार पर इस सब्सिडी की हकदार होंगी, जैसा कि परिभाषित किया गया है।

(III) थ्रस्ट सेक्टर उद्योग, जैसा कि अनुबंध-II में उल्लिखित है, उपरोक्त पैरा 3 (I) और (II) में उल्लिखित समान रियायतों के लिए पूरे उत्तरांचल और हिमाचल प्रदेश राज्य में बिना किसी क्षेत्र प्रतिबंध के हकदार हैं। "

नीति में आदेश किया गया है कि नई औद्योगिक इकाइयां और मौजूदा औद्योगिक इकाइयां अपने पर्याप्त विस्तार पर, जो विकास केंद्रों, औद्योगिक संपदाओं आदि में स्थापित की जाती हैं, जैसा कि अनुबंध-1 में निर्दिष्ट है और केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित अन्य क्षेत्र 10 वर्षों के लिए 100 प्रतिशत उत्पाद शुल्क छूट के हकदार होंगे, आदि। सुविधा के लिए, पॉलिसी के अनुबंध-1 के प्रासंगिक भाग का उद्धरण यहां दिया गया है:

"अनुलग्नक-1

उत्तराखंड राज्य और हिमाचल प्रदेश राज्य के लिए नई औद्योगिक नीति के तहत उत्पाद शुल्क में छूट के लिए निम्नलिखित तहसील में स्थानों की पहचान की गई है।

क्र. सं.	जिलों का नाम	औद्योगिक संपदा/मौजूदा और प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्र का नाम
8	हरिद्वार	हरिद्वार, भेल, मैंगलोर, नारसन, मोहंद, लक्सर, लंदोरा, लालचौर, इकबालपुर

. नीति की धारा 3.5 के तहत विभिन्न योजनाओं के तहत सब्सिडी को रूट करने के लिए एक नोडल एजेंसी को अलग से अधिसूचित करने की आवश्यकता थी। इसके बाद, दिनांक 06.03.2003 की अधिसूचना द्वारा, उत्तरांचल राज्य औद्योगिक विकास निगम (सिडकुल) को नई औद्योगिक नीति के तहत उक्त सब्सिडी/प्रोत्साहन देने के लिए उत्तरांचल राज्य के लिए नोडल एजेंसी के रूप में अधिसूचित किया गया था।

5. उपरोक्त नीति के अनुसरण में, केंद्र सरकार ने जनहित में, केंद्रीय उत्पाद अधिनियम, 1944 की धारा 5 ए के तहत दिनांक 10.06.2003 को एक अधिसूचना संख्या 50/2003 जारी की, जो अनुबंध-II में निर्दिष्ट क्षेत्र में स्थित एक इकाई खंड कुछ विशेष प्रकार के माल पर उत्पाद शुल्क की छूट प्रदान करती है।

"जी.एस.आर. (ई)-केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 5 ए की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अतिरिक्त कर्तव्यों की धारा 3 की उप-धारा (3) के साथ पठित उत्पाद शुल्क (विशेष महत्व का सामान) अधिनियम, 1957 (1957 का 58) और अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (कपड़ा और वस्त्र लेख) अधिनियम, 1978 (1978 का 40) की धारा 3 की उप-धारा (3), केंद्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होकर कि जनहित में ऐसा करना आवश्यक है, एतद्वारा केंद्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1985 (1986 का 5) की पहली अनुसूची और दूसरी अनुसूची में निर्दिष्ट वस्तुओं को अनुबंध- I में निर्दिष्ट वस्तुओं के अलावा छूट देता है। इसके साथ संलग्न, और औद्योगिक विकास केंद्र या औद्योगिक पार्क या औद्योगिक एस्टेट या औद्योगिक क्षेत्र या वाणिज्यिक एस्टेट या योजना क्षेत्र में स्थित एक इकाई से निकासी, जैसा कि मामला हो सकता है, संलग्नक- II में निर्दिष्ट, पूरे शुल्क से उत्पाद शुल्क या उत्पाद शुल्क के अतिरिक्त शुल्क, जैसा भी मामला हो, उक्त अधिनियमों में से किसी के तहत लगाया जा सकता है।

## 2. इस अधिसूचना में निहित छूट -

मात्र निम्नलिखित प्रकार की इकाइयों के लिए लागू होता है, अर्थात्: -

(क) ऐसी नई औद्योगिक इकाइयां जिन्होंने अपना वाणिज्यिक उत्पादन 7 जनवरी, 2003 को या उसके पश्चात आरंभ कर दिया है।

(ख) 7 जनवरी, 2003 से पहले विद्यमान औद्योगिक यूनिटें, किंतु जिन्होंने 7 जनवरी, 2003 को या उसके पश्चात् स्थापित क्षमता में कम से कम पच्चीस प्रतिशत पश्चात वृद्धि करके सारवान् विस्तार किया है।

इस अधिसूचना में निहित छूट किसी भी कथित इकाई को सरकारी राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से दस साल से अधिक की अवधि के लिए या वाणिज्यिक उत्पादन शुरू होने की तिथि से, जो भी बाद में हो, लागू होगी।

6 उपर्युक्त अधिसूचना स्पष्ट रूप से इंगित करती है कि नई इकाइयां जिन्होंने 07 जनवरी, 2003 को या उसके पश्चात वाणिज्यिक उत्पादन शुरू किया है, वे केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1985 की पहली अनुसूची और दूसरी अनुसूची में निर्दिष्ट ऐसी वस्तुओं पर उत्पाद शुल्क से छूट की हकदार होंगी और संलग्नक-2 में निर्दिष्ट क्षेत्रों में स्थित किसी इकाई को मंजूरी दी जाएगी।

7. अनुलग्नक-II में उत्तराखंड के किसी विशेष जिले में औद्योगिक क्षेत्र, गांव, खसरा संख्या और तहसील का विवरण दिया गया है, जहां उत्पाद शुल्क की छूट का दावा करने के उद्देश्य से एक नई इकाई या मौजूदा इकाई स्थापित करने की आवश्यकता है। अनुलग्नक-2 का प्रासंगिक भाग नीचे दिया गया है:

(ग) गैर-औद्योगिक  
क्षेत्र में औद्योगिक  
गतिविधि (विस्तार के  
साथ अधिसूचित

किया जाएगा)

औद्योगिक संपदा

क्षेत्र/क्षेत्र का नाम

औद्योगिक संपदा/क्षेत्रों

में आने वाले गांवों के

नाम

खसरा न.

बेहदेकी

क्रम संख्या

.

तहसील

संख्या

17

54

,

271

,

328

,

329

,

331

को

रुड़की

333

,

331 एम

अनुलग्नक-11 1.उत्तराखंड राज्य (5) जिला हरिद्वार 8.याचिकाकर्ता केंद्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ शीर्षक 2706.90 के अंतर्गत आने वाली एमएस इनगॉट्स, एमएस रनर और रिसर के निर्माण में लगी एक साझेदारी फर्म है।केंद्र सरकार की दिनांक 07.01.2003 की नीति और 10.06.2003 की अधिसूचना का लाभ उठाने के लिए, याचिकाकर्ता ने उपायुक्त, सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क, देहरादून को दिनांक 11.02.2004 के पत्र द्वारा हरिद्वार जिले में तहसील रुड़की के गांव बेहेडेकी में खसरा नं. 54 में एक नई विनिर्माण इकाई स्थापित आदेश के अपने इरादे के बारे में सूचित किया।

9. दिनांक 07.01.2003 की नीति के अनुबंध-1 और अधिसूचना दिनांक 10.06.2003 के अनुबंध-11 के अनुसार, याचिकाकर्ता की इकाई हरिद्वार जिले के खसरा, तहसील और गाँव में स्थित थी और इकाई की स्थापना के बाद और, वाणिज्यिक उत्पादन शुरू करने पर, याचिकाकर्ता ने अधिसूचना दिनांक 10.06.2003 में प्रदान किए गए प्रोत्साहन का दावा करने के लिए दिनांक 19.11.2004 के पत्र के माध्यम से उपायुक्त, सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क के साथ एक घोषणा दायर की।

यह पता चलता है कि केंद्रीय उत्पाद शुल्क के उपायुक्त ने उत्तराखंड राज्य औद्योगिक विकास निगम (सिडकुल) के प्रबंध निदेशक को दिनांक 21.02.2005 को एक पत्र लिखा था, जो नीति के तहत सब्सिडी/प्रोत्साहनों को रूट करने के लिए नोडल एजेंसी है, जिसमें अधिसूचना संख्या 50/2003 दिनांक 10.06.2003 से दी जा रही छूट के संबंध में स्पष्टीकरण की मांग की गई थी।

उक्त पत्र के जवाब में, सिडकुल ने दिनांक 03.03.2005 के पत्र के माध्यम से यह संकेत दिया कि "गैर-औद्योगिक क्षेत्र में औद्योगिक गतिविधि" और "गैर-औद्योगिक क्षेत्र में औद्योगिक गतिविधि (विस्तार के साथ अधिसूचित)" श्रेणी मौजूदा औद्योगिक इकाइयों को संदर्भित करती है और उपर्युक्त दो श्रेणियों में छूट का लाभ मात्र मौजूदा उद्योग को प्राप्त होगा जिसका पर्याप्त विस्तार होगा।

11. सिडकुल द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण के आधार पर उपायुक्त केंद्रीय उत्पाद शुल्क ने याचिकाकर्ता को अपने 18/21.03.2005 के पत्र द्वारा सूचित किया कि केंद्रीय उत्पाद शुल्क से छूट गांव बेहेडेकी में खसरा नंबर 54 में मौजूदा इकाइयों को ही दी जानी है और चूंकि याची की इकाई एक नई इकाई है, इसलिए 10.06.2003 की अधिसूचना के तहत छूट का लाभ नहीं दिया जा सकता है।

12. याचिकाकर्ता, सिडकुल द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण से व्यथित है, जिसका प्रतिनिधित्व उसके 24 मार्च, 2005 के पत्र द्वारा किया गया है, जिसमें संकेत दिया गया है कि अधिसूचना संख्या 50/2003 दिनांक 10.06.2003 नई इकाइयों के साथ-साथ मौजूदा इकाइयों पर भी लागू होती है और यह कि उक्त अधिसूचना में कोई अंतर प्रदान नहीं किया गया है।याचिकाकर्ता ने तदनुसार सिडकुल से एक और स्पष्टीकरण जारी करने का अनुरोध किया ताकि केंद्रीय उत्पाद शुल्क विभाग द्वारा छूट का लाभ याचिकाकर्ता को दिया जा सके।

13. चूंकि प्रतिवादी की ओर से कोई जवाब नहीं आया है, इसलिए याचिकाकर्ता ने रिट याचिका दायर की है जिसमें केंद्रीय उत्पाद शुल्क उपायुक्त द्वारा दिनांक 18/21.03.2005 को लिखे गए आदेश को रद्द करने का अनुरोध किया गया है जिसमें याची को अपनी इकाई से निकाली गई वस्तुओं पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क का भुगतान करने का निर्देश दिया गया है।

14. रिट याचिका के लंबित रहने के दौरान, केंद्र सरकार ने एक और अधिसूचना संख्या 27/2005 दिनांक 19.05.2005 जारी की, जिसमें पूर्व अधिसूचना संख्या 50/2003 दिनांक 10.06.2003 को संशोधित किया गया था, जिसमें, अनुबंध- 11 में, शीर्षक राज्य के तहत

उत्तरांचल की श्रेणी (सी) में, शीर्षक, "गैर-औद्योगिक क्षेत्र में औद्योगिक गतिविधि (विस्तार के साथ अधिसूचित)" को "गैर-औद्योगिक क्षेत्र में मौजूदा औद्योगिक गतिविधि" शीर्षक से प्रतिस्थापित किया गया था। "

15. उपरोक्त के आलोक में, याचिकाकर्ता के विद्वान वकील का निवेदन है कि दिनांक 07.01.2003 की नीति और दिनांक 10.06.2003 की अधिसूचना के अनुसार, याचिकाकर्ता ने अनुलग्नक-॥ में निर्दिष्ट क्षेत्र में एक नई औद्योगिक इकाई की स्थापना की और अपनी इकाई से निकाली गई वस्तुओं पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क में छूट का हकदार था। याचिकाकर्ता ने आगे कहा कि किसी और अधिसूचना की आवश्यकता नहीं थी और याचिकाकर्ता अधिसूचना संख्या 50/2003 दिनांक 10.06.2003 के तहत छूट का हकदार था। याचिकाकर्ता का तर्क है कि जिला हरिद्वार के तहत अनुलग्नक- ॥ में किए गए वर्गीकरण से कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि अधिसूचना दिनांक 10.06.2003 ने एक नई इकाई और एक मौजूदा इकाई के बीच ऐसा कोई अंतर नहीं किया है और उक्त अधिसूचना के तहत छूट के रूप में अनुबंध-॥ में निर्दिष्ट न केवल नई औद्योगिक इकाइयों पर लागू होता है, बल्कि उन मौजूदा इकाइयों पर भी लागू होता है जिन्होंने पर्याप्त विस्तार किया था। आगे यह भी कहा गया कि उपायुक्त द्वारा छूट देने से इनकार स्पष्ट रूप से अवैध था और अधिसूचना दिनांक 10.06.2003 के विरुद्ध था। इसके अलावा, सिडकुल द्वारा जारी स्पष्टीकरण, जो केवल एक नोटल एजेंसी थी, पूरी तरह से अवैध और अधिकार क्षेत्र से बाहर था। याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने आगे कहा कि सिडकुल के पास अधिसूचना को अपने तरीके से व्याख्या करने का कोई अधिकार या शक्ति नहीं थी।

16. यह भी आग्रह किया गया था कि पहले की 10.06.2003 की अधिसूचना में संशोधन करने वाली 19.05.2005 की बाद की अधिसूचना से याचिकाकर्ता की इकाई को छूट देने के संबंध में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। विकल्प के रूप में, यह आग्रह किया गया था कि दिनांक 19.05.2005 की अधिसूचना केवल प्रकृति में संभावित थी और केंद्रीय उत्पाद शुल्क की छूट का दावा करने में याचिकाकर्ता को प्रभावित नहीं करती थी।

अंत में, याचिकाकर्ता ने प्रस्तुत किया कि अधिसूचना दिनांक 10.06.2003 के तहत केंद्रीय उत्पाद शुल्क में छूट का लाभ उठाने की एक वैध अपेक्षा थी और प्रतिवादी वचन विबंधन के सिद्धांत से बंधे हैं। तर्क के समर्थन में, याचिकाकर्ता ने कई केस कानूनों पर भरोसा किया है, जिन पर उचित स्थान पर विचार किया जाएगा।

17. केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विभाग का दृष्टिकोण है कि दिनांक 07.01.2003 की नीति और दिनांक 10.06.2003 की अधिसूचना के अनुसार, याची की यूनिट अधिसूचना के अनुलग्नक-॥ में निर्दिष्ट औद्योगिक क्षेत्र में स्थित नहीं थी और परिणामस्वरूप, छूट के लिए हकदार नहीं थी। प्रतिवादी का तर्क है कि हरिद्वार जिले के अंतर्गत, याची की इकाई गैर-औद्योगिक क्षेत्र में औद्योगिक गतिविधि (विस्तार के साथ अधिसूचित किया जाना) शीर्षक के से 'सी' श्रेणी में स्थित थी, जो मात्र मौजूदा उद्योगों पर लागू होगी जैसा कि

नोडल एजेंसी सिडकुल द्वारा स्पष्ट किया गया था। यह अग्रतर प्रस्तुत किया गया था कि १९. ०५. २००५ दिनांकित अधिसूचना, जिसने १०. ०६. २००३ दिनांकित पूर्व अधिसूचना में संशोधन किया था, जिसमें 'गैर-औद्योगिक क्षेत्र में औद्योगिक गतिविधि (विस्तार के साथ अधिसूचित की जानी है)' को 'गैर-औद्योगिक क्षेत्र में मौजूदा औद्योगिक गतिविधि' द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था, यह स्पष्ट करता है कि हरिद्वार जिले के लिए 'सी' श्रेणी के से छूट मात्र मौजूदा इकाइयों के लिए उनके पर्याप्त विस्तार पर लागू थी।

18. प्रतिवादी की प्रस्तुतीकरण यह है कि संलग्नक II के अनुसार, विभिन्न श्रेणियां दी गई हैं नामतः, (ए) मौजूदा औद्योगिक संपदा, (बी) प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्र/संपदा, (सी) गैर-औद्योगिक क्षेत्र में औद्योगिक गतिविधि (विस्तार के साथ अधिसूचित की जानी है) और (डी) मौजूदा संपदा का विस्तार।

प्रतिवादी के अनुसार, ये श्रेणियां बताती हैं कि छूट का लाभ उठाने के लिए एक नई इकाई कहां स्थित हो सकती है और एक मौजूदा इकाई कहां स्थित हो सकती है। प्रतिवादियों का तर्क यह है कि वह क्षेत्र जहां याचिकाकर्ता की इकाई स्थित है, केवल मौजूदा इकाइयों के लिए निर्धारित किया गया था और चूंकि याचिकाकर्ता की इकाई एक नई इकाई है, इसलिए याचिकाकर्ता अधिसूचना के तहत किसी भी छूट के लिए उत्तरदायी नहीं था।

राज्य सरकार ने एक जवाबी शपथ पत्र भी दायर किया है, जिसमें कहा गया है कि हरिद्वार जिले के लिए श्रेणी 'सी' के तहत, गैर-औद्योगिक क्षेत्रों में स्थापित इकाइयां अपने पर्याप्त विस्तार पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क की छूट की हकदार होंगी और चूंकि याचिकाकर्ता एक नई इकाई है, इसलिए वह अधिसूचना के तहत छूट की हकदार नहीं है।

20. सिडकुल ने यह संकेत देते हुए एक जवाबी शपथ पत्र भी दायर किया है कि याचिकाकर्ता की इकाई एक निर्दिष्ट औद्योगिक क्षेत्र में स्थित नहीं है और यह कि उस क्षेत्र को राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किए जाने की आवश्यकता है जो अभी तक नहीं किया गया है। यह भी तर्क दिया गया कि हरिद्वार जिले में श्रेणी 'सी' के तहत शीर्षक 'गैर-औद्योगिक क्षेत्र में औद्योगिक गतिविधि (विस्तार के साथ अधिसूचित किया जाना)' को भारत सरकार को खसरा संख्या का विवरण भेजते समय टाइपोग्राफिकल त्रुटि द्वारा गलत तरीके से अधिसूचना में शामिल किया गया था और आवश्यक सुधार के लिए सरकार को एक पत्र भेजा गया है। सिडकुल की प्रस्तुतीकरण यह है कि जिला हरिद्वार में श्रेणी 'सी' मात्र मौजूदा औद्योगिक इकाइयों पर ही लागू होती है।

21. उपरोक्त प्रस्तुतियों के आलोक में, हमने याचिकाकर्ता के विद्वान वकील श्री गजेंद्र त्रिपाठी की सहायता से श्री शरद शर्मा, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता को सुना है। श्री बी.के. गुप्ता, विद्वान अतिरिक्त महाधिवक्ता, प्रतिवादी संख्या 1 और 2 के लिए, श्री विपुल शर्मा, विद्वान अधिवक्ता श्री एच. एम. भाटिया, प्रतिवादी संख्या 3 के विद्वान अधिवक्ता द्वारा सहायता प्राप्त और श्री अरविंद वशिष्ठ, प्रतिवादी संख्या 6 के विद्वान अधिवक्ता को सुना।

22. एकमात्र प्रश्न जिस पर विचार किया जाना आवश्यक है, वह यह है कि क्या याचिकाकर्ता अधिसूचना संख्या 50/2003 दिनांक 10.06.2003 के तहत केंद्रीय उत्पाद शुल्क छूट का हकदार है।

23. दिनांक 07.01.2003 की नीति के खंड 3.1 से संकेत मिलता है कि विकास केन्द्रों आदि में स्थित नई औद्योगिक इकाइयां, जैसाकि अनुलग्नक-1 में बताया गया है, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क में छूट की हकदार होंगी। नीति के अनुलग्नक-1 में सामान्य रूप से स्थानों की पहचान की गई थी, जिसमें हरिद्वार जिले की इकबालपुर तहसील शामिल थी। 07.01.2003 की नीति के खंड 3.1 में यह प्रावधान किया गया है कि केन्द्र सरकार अनुलग्नक-1 में निर्दिष्ट क्षेत्रों के अलावा समय-समय अग्रेतर अन्य क्षेत्रों को भी अधिसूचित कर सकती है। अधिसूचना संख्या 50/2003 दिनांक 10.06.2003 ने अन्य क्षेत्रों को अधिसूचित किया अग्रेतर औद्योगिक संपदाओं/क्षेत्रों/क्षेत्रों, गांव, खसरा नं. अग्रेतर तहसील का अधिक विवरण भी प्रदान किया जहां एक नई इकाई या मौजूदा इकाई स्थापित करने की आवश्यकता थी। दिनांक 10.06.2003 की अधिसूचना में स्पष्ट रूप से संकेत दिया गया है कि नई औद्योगिक इकाइयां जो अनुलग्नक-1 में निर्दिष्ट क्षेत्रों में स्थित हैं, वे छूट की हकदार होंगी, जिन्होंने अपना वाणिज्यिक उत्पादन 07.01.2003 को या उसके पश्चात शुरू कर दिया है। दिनांक 10.06.2003 की अधिसूचना के अनुलग्नक-1 में हरिद्वार जिले के बेहेडेकी गांव में तहसील रुड़की में खसरा नं. 54 का संकेत दिया गया है।

24. याचिकाकर्ता की इकाई रुड़की तहसील के बेहेडेकी गांव में खसरा नं. 54 में स्थित है और उसने एक नई इकाई स्थापित की है और 07 जनवरी, 2003 के पश्चात वाणिज्यिक उत्पादन शुरू किया है और इसके परिणामस्वरूप छूट के लिए आवेदन किया है। प्रतिवादी का तर्क है कि याची की इकाई 10.06.2003 दिनांकित अधिसूचना में निर्दिष्ट औद्योगिक क्षेत्र में स्थित नहीं है, यह इस तर्क के कारण है कि जिला हरिद्वार के अंतर्गत श्रेणी 'सी' मात्र मौजूदा इकाइयों के लिए लागू होती है, न कि नई इकाइयों के लिए।

यह तर्क श्रेणी 'सी' में दिए गए शीर्षक अर्थात् 'गैर-औद्योगिक क्षेत्र में औद्योगिक गतिविधि (विस्तार के साथ अधिसूचित किया जाना)' के आधार पर दिया गया है, जिसका अर्थ है कि यह श्रेणी मौजूदा औद्योगिक इकाइयों को संदर्भित करती है।

25. हमारी राय में, प्रतिवादियों द्वारा अपनाई गई दलील स्पष्ट रूप से गलत है और इसे अनुलग्नक-1 में उल्लिखित श्रेणियों से नहीं निकाला जा सकता है।

26. दिनांक 10.06.2003 की अधिसूचना स्पष्ट रूप से इंगित करती है कि एक नई इकाई छूट की हकदार होगी यदि यह अनुलग्नक-1 में निर्दिष्ट क्षेत्र में स्थापित 07.01.2003 के बाद उत्पादन शुरू करती है। जिला हरिद्वार के अंतर्गत वर्णित उक्त श्रेणियां, अर्थात्, (ए) मौजूदा औद्योगिक संपदा, (बी) प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्र / संपदा, (सी) गैर-औद्योगिक क्षेत्र में औद्योगिक गतिविधि (विस्तार के साथ अधिसूचित) और, (डी) मौजूदा संपदा का विस्तार किसी भी तरह से यह नहीं दर्शाती है कि उक्त श्रेणियां (ए), (बी), (सी) और (डी) एक मौजूदा इकाई या एक नई इकाई से संबंधित हैं। नतीजतन, हमारी राय है कि श्रेणी 'सी' यह निर्दिष्ट नहीं करती है कि यह केवल मौजूदा इकाई से संबंधित है। विरोधी पक्ष द्वारा लिया गया रुख स्पष्ट रूप से गलत है और इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

27. सिडकुल ने स्वयं स्पष्ट किया था कि श्रेणी 'सी' के तहत "विस्तार के साथ अधिसूचित किया जाना" शब्द एक टाइपोग्राफिकल त्रुटि थी, जो हमारी राय में सही है और हम आगे मानते हैं कि उक्त शब्द "विस्तार के साथ अधिसूचित" किसी भी तरह इस बात का संकेत नहीं देता है कि छूट के लाभ का दावा करने के लिए केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 5 ए के तहत एक और अधिसूचना जारी करने की आवश्यकता थी। 10 जून 2003 की अधिसूचना छूट के लाभ का दावा करने के लिए पर्याप्त थी।

28. जहां तक 19.05.2005 की अधिसूचना का संबंध है, न्यायालय की राय है कि उक्त अधिसूचना मात्र कुछ विसंगतियों को दूर करती है जो दिनांक 10.06.2003 की अधिसूचना में आ गई थी।

उक्त अधिसूचना द्वारा, जिला हरिद्वार में श्रेणी 'सी' के तहत शीर्षक, अर्थात्, "गैर औद्योगिक क्षेत्र में औद्योगिक गतिविधि (विस्तार के साथ अधिसूचित)" को "गैर औद्योगिक क्षेत्र में मौजूदा औद्योगिक गतिविधि" शीर्षक से प्रतिस्थापित किया गया था। हमारी मत में, इस प्रतिस्थापन से कोई अंतर नहीं पड़ेगा क्योंकि हमने यह निर्णय दिया है कि जिला हरिद्वार के तहत दी गई श्रेणियां मौजूदा इकाइयों या किसी विशेष श्रेणी में स्थित नई इकाइयों के लिए कोई अंतर नहीं करती हैं।

29. इस न्यायालय की एक खण्ड पीठ ने 2005 की रिट याचिका संख्या 333 (एम/बी) को मैसर्स पोलस बनाम उद्योग विभाग और अन्य में 16 मई, 2005 को निर्णय दिया कि सिडकुल के प्रबंध निदेशक की राय दिनांक 10.06.2003 की अधिसूचना को ओवरराइड नहीं कर सकती और यह अभिनिर्धारित किया कि दिनांक 10.06.2003 की अधिसूचना अभिभावी होगी। हम

स निर्णय से सहमत हैं।

30. पूर्वोक्त के आलोक में, इस न्यायालय के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वह याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उठाए गए वैध अपेक्षा और वचन-विबंध के प्रश्न पर विचार करे, न ही पूर्वोक्त प्रश्न पर निर्णयज विधियों पर चर्चा करना आवश्यक है।

31. उपरोक्त के परिणामस्वरूप, रिट याचिका की अनुमति दी जाती है। उपायुक्त का दिनांक 21.03.2005 का आदेश जिसमें याचिकाकर्ता को अपनी इकाई से माल की निकासी पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क का भुगतान करने का निर्देश दिया गया था, स्पष्ट रूप से गलत होने के कारण, निरस्त किया जाता है। अदालत का मानना है कि याचिकाकर्ता अधिसूचना संख्या 50/2003 दिनांक 10.06.2003 के तहत छूट का हकदार है और तदनुसार प्रतिवादी संख्या 2 को निर्देशित करते हुए एक परमादेश जारी किया जाता है कि केंद्रीय उत्पाद शुल्क के संबंध में याचिकाकर्ता की इकाई को छूट प्रदान की जाती है।

मामले की परिस्थितियों में, पक्षकारों को अपना खर्च स्वयं वहन करना होगा।

(बी. एस. वर्मा, न्यायाधीश) (प्रफुल्ल सी. पंत, न्यायाधीश) (तरुण अग्रवाल, न्यायाधीश) दिनांक 04 अगस्त, 2011